–ः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर ः–

पीठासीन अधिकारी ः– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या ः– 34/2025

उनवान

मेनुअल लाल सिंह पुत्र मादू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
––प्रार्थी ः–जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी ः– जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

–ः आदेश ः– दिनांक ः– 17.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 653/642 किता 19 रकबा 6.31 व खाता संख्या 171/167 किता 12, रकबा 1.77 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से मेनुअल लाल सिंह पुत्र मादू सिंह के स्थान पर लाला पुत्र मादू दर्ज कर दिया गया। अतः अराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का सही नाम मेनुअल लाल सिंह पुत्र मादू सिंह अंकित किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश नही कर जाहिर किया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व प्रार्थी के पहचान दस्तावेज व ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 653/642 किता 19 रकबा 6.31 व खाता संख्या 171/167 किता 12, रकबा 1.77 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम लाला पुत्र मादू दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त आराजी पर प्रार्थी का नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से मेनुअल लाल सिंह पुत्र मादू सिंह के स्थान पर लाला पुत्र मादू दर्ज कर दिया गया। अतः अराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का सही नाम मेनुअल लाल सिंह पुत्र मादू सिंह अंकित किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पेन कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत भवानीखेडा के सरपंच, वार्ड पंच, प.स. श्रीनगर के सदस्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मेनुअल लाल सिंह पुत्र मादू सिंह ही है। राज. पैरोकार ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। [illegible] संख्या 278 के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी लाला सिंह के नाम जरियें विरासत [illegible] गयी हैं जिससे सिद्व होता है कि आराजी मुतनाजा प्रार्थी को जरियें [illegible] का नाम दुरूस्त करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

राज हित प्रभावित नही होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रार्थी नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं।

उक्तानुसार ग्राम भवानीखेडा के खाता संख्या 653/642 किता 19 रकबा 6.31 व खाता संख्या 171/167 किता 12, रकबा 1.77 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का नाम लाला पुत्र मादू के स्थान पर मेनुअल लाल सिंह पुत्र मादू सिंह अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:34:06 IST
Reason: SelfAttested